राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–53 / 2025

गोपाराम विश्नोई **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव,राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, (भू–अभिलेख), जिला जालौर।
4. तहसीलदार, भू–अभिलेख, तहसील बागोड़ा, जिला जालौर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल, तहसील बागोड़ा, जिला जालौर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मंडल आकोली, तहसील जालौर, जिला जालौर में तहसीलदार के दबाव के कारण, जिला कलेक्टर, जालौर द्वारा अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी पटवारी के पद पर पटवार मंडल, तहसील बागोड़ा, जिला जालौर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मंडल आकोली, तहसील जालौर, जिला जालौर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर अक्टूम्बर, 2022 से कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को यह अधिकारी प्राप्त नहीं है कि उसे एक ही विशेष स्थान पर पदस्थापित रखा जावे। नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थगन प्रार्थना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य